न्यायालय–सिविल न्यायाधीश (कनीय कोटी) तेघड़ा, बेगूसराय

पीठासीन पदाधिकारी– नरेश कुमार, सविल न्यायाधीश (कनीय कोटी)

दीवानी निष्कासन वाद संख्या–03/2024

गौर हरी ....वादी

बनाम

बिजय कुमार ....प्रतिवादी

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.08.2026	उभय पक्ष की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई है। वाद का बार–बार पुकार किया गया, पुकार पर उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी दिनांक 03.03.2025 से प्रस्तुत वाद में अनुपस्थित चले आ रहे हैं। वादी को दिनांक 14.05.2025 को निर्देश दिया गया था कि प्रस्तुत वाद में उपस्थित होकर उचित कदम उठाएं परंतु, वादी के द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। पुनः दिनांक 08.07.2026 को न्यायालय द्वारा वादी प्रस्तुत वाद में उपस्थित होकर उचित कदम उठाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था, परंतु वादी ने ना ही कोई पैरवी तथा ना ही कोई उचित कदम उठाया गया है। आज की तिथि में भी वादी कोई पैरवी नहीं की गई है एवं वाद के बार–बार पुकार पर वादी उपस्थित नहीं हुए। वादी का न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर एवं वादी द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जाना एवं वादी द्वारा अपने मुकदमे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को प्रस्तुत वाद में अभिरूचि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। **लेखापित एवं शुद्धित** **Sd** **(नरेश कुमार)** **सिविल न्यायाधीश (कनीय कोटी)**	